रिक्त पदों पर बहाली

*109. श्री अरुण कुमार सिन्हा—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित "600 नौकरियों पर ग्रहण" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला स्तर पर समाहरणालयों में इंटर स्तरीय 6000 पद रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार इंटर स्तरीय रिक्त पदों पर कबतक बहाली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोर्ड का गठन

*110. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद विनियम अधिनियम, 1981 की धारा 3–1 में बिहार राज्य ईख बोर्ड का गठन करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद विनियम अधिनियम, 1981 की बोर्ड की धारा 4 के उप–धारा–01 के अधीन उप–समिति का गठन करने का प्रावधान है ;

(3) क्या यह बात सही है कि 2008 से अबतक बिहार राज्य ईख बोर्ड एवं बोर्ड की उप–समितियां का गठन नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक ईख बोर्ड का गठन नहीं करने का क्या औचित्य है ?

चीनी मिल लगाना

*111. डॉ0 अरुण कुमार—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल धान बाहुल्य क्षेत्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राईस मिल नहीं रहने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में राईस मिल लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*112. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना 15 वर्षों से चालू है लेकिन आजतक थाना भवन का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण करने का विचार रखती हैं, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*113. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगिऑंव विधान–सभा क्षेत्र के अगिऑंव, चरपोखरी एवं गड़हनी प्रखंड के विभिन्न गाँव नाढ़ी, खेरी बाजार, अजिमाबाद, रतनाढ़ एवं कोढ़ा गाँव के कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँवों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण करना

*114. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड में पदस्थापित सहायक उर्दू अनुवादक मो0 शहरयार गत तीन वर्षों से बीमार चल रहे हैं एवं इनकी सेवानिवृत्ति 30 जनवरी, 2013 को है ;

(2) क्या यह बात सही है मो0 शहरयार की कैंसर रोग से पीड़ित हैं एवं उनकी पत्नी का देहान्त गत वर्ष 2011 को हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री मो0 शहरयार का स्थानान्तरण इनके गृह प्रखंड–ठाकुरगंज में करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*115. श्रीमती गुड्डी देवी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड के पंडौल मजार का कब्रिस्तान एवं इस्लामपुर सकरौली का कब्रिस्तान निर्माण 2 वर्ष पूर्व करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, जबकि उक्त कब्रिस्तान का आजतक निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार कबतक रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*116. श्रीमती गुड्डी देवी—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड में अल्संख्यक छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष 2011 में चयन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त छात्रावास का निर्माण कार्य आजतक शुरू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त छात्रावास का निर्माण करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*117. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान–सभा क्षेत्र के वारिसनगर प्रखंड में शोभनडीह, रहुआ पश्चिम, पुरनाही, सुखपुर, मोहिउद्दीनपुर, हांसा ग्राम स्थित नगर पीपर, सादीपुर, रायपुर, डरसर, बल्लीपुर ग्राम स्थित कब्रिस्तान तथा खानपुर प्रखंड में सुरौल, मनवारा, जगदीशपुर, भोरेजैराम, सिरोपट्टी, जहांगीरपुर, हरपुर, खैरी, श्रीपुर, गांहर पूर्वी, सिवैसिंगपुर बलहा विश्वनाथ कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं कराए जाने के वजह से पशुओं का चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

भवन का निर्माण

* 118. श्री पवन कुमार जायसवाल—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सिकरहना अनुमंडल का सृजन मई, 1972 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमंडल में आजतक उप–कोषागार की स्थापना नहीं है, जिसके कारण आम जनता को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त अनुमंडल में उप–कोषागार की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

* 119. श्री कृष्णनन्दन यादव—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलांतर्गत अतरी विधान–सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अतरी विधान–सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं होने से अल्पसंख्यक छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतरी विधान–सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी कटाई रोकना

* 120. श्री संजय सिंह टाइगर—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा शहर के उत्तरी हिस्से में अवस्थित हवाई अड्डा वर्ष–1985–86 तक कार्यरत था तथा रनवे काम कर रहा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त हवाई अड्डा की चहारदीवारी नहीं होने के कारण अतिक्रमण स्थल की मिट्टी कटाई अबाध जारी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हवाई अड्डा की चहारदीवारी का निर्माण करते हुए मिट्टी कटाई रोकने हेतु कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजित करना

* 121. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर के गंडक नदी के उसपार पिपरासी, मधुबनी, भितहाँ एवं धनहा थाना को अनुमंडल पदाधिकारी का पद सृजन हेतु वर्ष 2010 में बगहा के आरक्षी अधीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन आजतक अनुमंडल पदाधिकारी पद का सृजन नहीं किया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र दस्युओं का शरण स्थली है एवं उक्त चारों थानों को अपराधियों पर काबु रखने हेतु प्रशासन को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थानों को मिलाकर अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी पद सृजित करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

* 122. श्री वीरेन्द सिंह---क्या मंत्री, सांख्यिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010–11 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 5 हजार की आबादी वाली गाँव में एक बैंक की स्थापना की जायेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के कोल्हना गाँव की आबादी 5 हजार है, जहाँ कोई बैंक नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित स्थान पर बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना स्थापित करना

* 123. श्री अशोक कुमार सिंह---क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के अन्तर्गत शिवगंज बाजार जी0टी0 रोड पर अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिवगंज मदनपुर थाना के अन्तर्गत पड़ता है एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिवगंज में पुलिस थाना स्थापित करने का विचार रखती है ?

कार्यालय खोलना

* 124. डॉ0 इजहार अहमद---क्या मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत बिरौल अनुमंडल मुख्यालय बने 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिरौल मुख्यालय में वाणिज्य–कर कार्यालय नहीं होने के कारण दूर–दराज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों एवं व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए 50 से 75 कि0मी0 दूर दरभंगा आना–जाना पड़ता है, जिससे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बिरौल अनुमंडल मुख्यालय में वाणिज्य–कर विभाग का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?

भवन का निर्माण

* 125. श्री अरूण कुमार सिन्हा---स्थानींय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित "चौक थाने का दो मंजिला बैरक ध्वस्त" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना के आलमगंज थाना का बैरक, बाईपास थाना भवन, दीदारगंज थाना भवन एवं मालसलामी थाना भवन अत्यंत जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके लिए नये भवन बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

बकाया राशि का भुगतान

*126. श्री रामदेव महतो—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत लोहट, रैयाम एवं सकरी चीनी मिल विगत बीस वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त मिलों में ईख देने वाले तीन सौ किसानों का एक करोड़ बीस लाख रुपया किसानों का बकाया रुपया समाहर्त्ता मधुबनी के पास किसानों के भुगतान हेतु विगत पाँच वर्षों से जमा है, परन्तु अबतक राशि का वितरण नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार किसानों का बकाया राशि के भुगतान कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन का औचित्य

*127. श्री रामप्रवेश राय—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी अपने पदस्थापन के समय से एक जिले या प्रमण्डल में तीन वर्षों से अधिक समय तक पदस्थापित नहीं रह सकते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण कमिश्नरी के गोपालगंज अनुमण्डल में श्री राजीव रंजन अनुमण्डल पदाधिकारी के रूप में चार वर्षों से और सारण कमिश्नरी के विभिन्न प्रमण्डलों में दस वर्षों से प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के बावजूद अभीतक गोपालगंज अनुमण्डल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो एक ही कमिश्नरी और जिले में इतने दिनों तक पदस्थापित रहने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*128. डॉ० अब्दुल गफुर—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत में बड़ी एवं छोटी कुल 05 कब्रिस्तान हैं, जिसका अभीतक घेराबंदी नहीं हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी कब्रिस्तान का घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*129. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी में अनुमंडलीय पुलिस कार्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडलीय पुलिस कार्यालय का भवन के साथ–साथ अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य कार्यरत कर्मियों का आवास नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेरघाटी में अनुमंडलीय पुलिस कार्यालय भवन एवं अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के साथ–साथ कार्यरत कर्मियों के लिए आवासीय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*130. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज नगर पंचायत के वार्ड सं० 23, गुलजारबाग, खाता सं० 460, प्लॉट 824, रकवा 30डी० एवं वार्ड संख्या 21, खाता संख्या 213, प्लॉट संख्या 686, रकवा 30 डी० में अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने से जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*131 डॉ० अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत टरहार ओ०पी० एवं कनरीया ओ०पी० का भवन नहीं रहने के कारण पुलिस कर्मी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ओ०पी० (थाना) का भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*132. श्री मोती लाल प्रसाद—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड के दो पंचायत बागमती नदी के उस पार बैरगनिया थाना में पड़ता है और शेष नौ पंचायत मेजरगंज थाना में पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुप्पी प्रखंड में थाना नहीं रहने के कारण आम जनता को काफी परेशानी होती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सुप्पी प्रखंड में थाना निर्माण से संबंधित लगभग सात माह पूर्व में जिला स्तर से प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्रखंड में कबतक थाना खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*133. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत आमस प्रखंड के चिताबखूर्द एवं रामपुर, शेरघाटी प्रखंड के बेला एवं श्रीरामपुर तथा डोभी प्रखंड के बभनदेव एवं पचरतन की आबादी तीन हजार से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित गाँवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा काफी दूर जाने पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होती है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आमस प्रखंड के चिताबखूर्द एवं रामपुर, शेरघाटी प्रखंड के बेला एवं श्रीरामपुर तथा डोभी प्रखंड के बभनदेव एवं पचरतन में बैंकिंग सुविधा हेतु बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन स्वीकृत करना

*134. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में जयप्रकाश आन्दोलन में भाग लेने वाले लोगों के लिए शुरू की गई जे०पी० सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत अबतक मात्र 2158 सेनानियों के पेंशन स्वीकृत किए गए हैं और दरभंगा सहित पूरे राज्य में 71,000 आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न कारागारों में जे०पी० आन्दोलन के समय के रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण सत्यापन कार्य में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आन्दोलन में जेल गए तमाम सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*135. श्री विजय कुमार—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत, लखीसराय नगर परिषद्, लखीसराय प्रखंड एवं हलसी प्रखंड में कब्रिस्तानों की घेराबंदी वर्ष 2010–11 में प्रारम्भ किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि दो वर्ष बीतने के बाद भी प्राक्कलन के अनुसार इन कब्रिस्तानों की घेराबन्दी आजतक नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुए उक्त प्रखंडों के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*136. श्री मनोहर प्रसाद—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत फुलहारा में ग्रामीण बैंक की शाखा नहीं है, यदि हां, तो सरकार फुलहार में बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*137. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर, कुमारखंड एवं शंकरपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, यदि हां, तो सरकार उक्त प्रखंडों के अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य की पूर्ति

*138. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में बिहार भू–जल सिंचाई योजना में विभिन्न बैंकों से तरैया, पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंड सहित पूरे सारण जिलान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बैंकों द्वारा कर्ज नहीं दिये गये हैं, यदि हां, तो क्या सरकार तरैया, पानापुर एवं इसुआपुर प्रखंड सहित पूरे सारण जिला में लक्ष्य की पूर्ति हेतु कौन–सी कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*139. श्री वीरेन्द्र सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर प्रखंड अन्तर्गत अबगीला के पास कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने की कारण सुरक्षा तथा रख–रखाव में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अबगीला कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*140. श्री कृष्णानंदन पासवान—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड ग्राम पंचायत–कनछेदवा का कब्रिस्तान एवं तुरकौलिया प्रखंड के ग्राम कवलपुर कब्रिस्तान और ग्राम पंचायत शंकर सरैया के तनसरिया कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हां, तो सरकार उक्त तीनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाईसेंस देना

*141. श्री दिनेश कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला सहित पूरे बिहार में लाईसेंसी राईफल एवं बन्दूकधारियों के मरने के बाद उसके वारिसों को लाईसेंस देने की कोई नियमावली नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि लाईसेंस धारियों के मरने के बाद बंदूक एवं राईफल जप्त कर लिया जाता है ;

(3) यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राईफल एवं बंदूक लाईसेंसधारियों के मरने के बाद उनके वारिसों को लाईसेंस देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*142. श्री चन्द्रशेखर—हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "क्यों कम बंट रहे हैं के०सी०सी०" के आलोक में क्या मंत्री, सांख्यिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 10 फरवरी, 2012 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 39वीं त्रैमासिक बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री जी ने लक्ष्य से काफी कम के०सी०सी० वितरण के लिए नाराजगी जाहिर की थी ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लक्ष्य पूर्ति में कमी करने वाले बैंक मैनेजरों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बहाल करना

* 143. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि आजादी के बाद शहरी एवं ग्रामीण जनता के सुरक्षा हेतु रात्रि में पुलिस द्वारा गस्ती की व्यवस्था की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 10 वर्षों से यह व्यवस्था बंद हो गई है, जिस कारण शहरी एवं ग्रामीण आम जनता को रात्रि के समय जान–माल का खतरा हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुनः रात्रि में गस्ती की व्यवस्था आमलोगों की सुरक्षा हेतु बहाल करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

* 144. श्री सदानन्द सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव प्रखंड के एन0एच0 के किनारे ग्राम रामजानीपुर में बियाडा द्वारा 6 वर्ष पूर्व भूमि का अधिगृहित की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बियाडा की अधिगृहित भूमि पर स्टार सीमेंट, गोल्डन सीमेंट, अमृत सीमेंट ग्रीन मैती उद्योगों को एवं फुट पार्क लगाने हेतु तीन वर्ष पूर्व निविदा आमंत्रित की गयी है, फिर भी आज तक कोई उद्योग स्थापित नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त आवंटित बियाडा द्वारा उद्योगों को लगाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

* 145. श्रीमती मुन्नी देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल शाहपुर के थाना बिहियां अंतर्गत बेनवलिया बाजार में वर्ष 1982 से 2003 तक पुलिस चौकी स्थापित थी, परन्तु वर्ष 2003 के बाद से इसे हटा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की वृहत शाखा होने सहित बड़े पैमाने पर व्यवसाय होता है, परन्तु इस बाजार से बिहियां थाना की दूरी लगभग 15 किलोमीटर होने के कारण बैंक, बाजार सहित आस–पास के गाँवों में हत्या, चोरी एवं लूट जैसी आपराधिक घटनाएँ होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यवसायियों एवं आमजनों की सुरक्षा सहित अपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु उक्त बाजार में पुनः पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का जीर्णोद्धार

* 146. श्री संतोष कुमार निराला—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर थाना का भवन, मालखाना, हाजत एवं शौचालय की हालत जर्जर हो गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राजपुर थाना का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ,तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

* 147. श्री अरूण शंकर प्रसाद—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27 अक्टूबर, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "प्रभार के बोझ तले दबे हैं अधिकारी" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में आई0ए0एस0 सेवा के अफसरों के कुल स्वीकृत पद 326 के विरुद्ध मात्र 190 कार्यरत पदाधिकारी हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पद रिक्त रहने से कार्यरत पदाधिकारियों के पास सैकड़ों फाईल लम्बित रहने के कारण आम लोगों का निकास कार्य संबंधित कार्य प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक रिक्त पदों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 148. श्री विक्रम कुँवर––हिन्दी समाचार पत्र में दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को प्रकाशित पशु तस्करों को पकड़ पुलिस को सौंपा शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर प्रखंड अन्तर्गत रघुनाथपुर दरौली मार्ग पर ग्रामीणों के द्वारा भान की गाड़ी पर पशुओं के साथ दो पशु तस्कर को पकड़ कर थाना को सुपुर्द कर दिया ;

(2) क्या यह बात सही है कि रघुनाथपुर पशु तस्करी के लिए सेफ जोन बन गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि थाना पदाधिकारी, रघुनाथपुर के द्वारा उक्त पशु तस्करों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया गया बल्कि उसे पशु के साथ छोड़ दिया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थानाध्यक्ष रघुनाथपुर के विरुद्ध साक्ष्य छुपाने हेतु कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 149. श्री विभाष चन्द्र चौधरी––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के कावर पंचायत के हंसी टोला कब्रिस्तान का घेराबन्दी नहीं होने के कारण अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त हंसी टोला कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 150. मो0 आफाक आलम––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बता सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के मार्जिवारी टोला, मलहरिया पंचायत के देवहतागाँव, बनहेली पंचायत के कैनीगाँव के पश्चिम में कब्रिस्तान की घेराबंदी आज तक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

* 151. श्री दिनेश कुमार सिंह––क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर विधान–सभा क्षेत्र के इसाढ़ी एवं जितौरा बाजार में थाना नहीं होने से आम जनता में असुरक्षा की स्थिति हो गयी है ;

(2) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*152. श्री विनय कुमार सिंह––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के कुरैया एवं पगुराहां ग्राम की कब्रिस्तान की घेराबदी नहीं की गई है; यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाँवों की कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मिल खोलना

*153. श्री जनक सिंह––क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के इसुआपुर, तरैया एवं पानापुर प्रखंड धान बाहुल्य क्षेत्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राईस मिल नहीं रहने के कारण वहां से किसनों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त तीनों प्रखंडों में राईस मिल खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपस्कर उपलब्ध कराना

*154. श्री अरूण शंकर प्रसाद––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत दिनांक 13 अक्तूबर, 2012 को उपद्रवी तत्वों द्वारा बासोपट्टी एवं खजौली थाना को जला दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि बासोपट्टी एवं खजौली थाना का भवन, उपस्कर एवं कागजात सहित अन्य सामग्रियों के जल जाने के कारण थाना कार्य बाधित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थाना का भवन का निर्माण एवं आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*155. श्री अजीत कुमार––क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना अन्तर्गत पानापुर ओ०पी० बीते पन्द्रह वर्षों से पंचायत भवन में चल रहा है, जिसके कारण पंचायत का कार्य बाधित है, यदि हां, तो सरकार कबतक, उक्त ओ०पी० के लिए भवन निर्माण कराकर पंचायत भवन से ओ०पी० को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

पेंशन का भुगतान

*156. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि जे०पी० आन्दोलकारियों को सरकार ने मासिक पेंशन देने का प्रावधान वर्ष 2007 में किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया एवं बांका जिलों में जे०पी० आन्दोलनकारियों को मासिक पेंशन का भुगतान अभीतक नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों जिलों के जे०पी० आन्दोलकारियों को मासिक पेंशन कबतक भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की स्थापना

*157. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के अन्तर्गत रफीगंज प्रखंड के बलिगाँव की आबादी लगभग तीन हजार से ज्यादा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में बैंकिंग सुविधा नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बलिगाँव के लोगों के बैंकिंग सुविधा के हेतु बैंक की स्थापना का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*158. डॉ० इजहार अहमद—क्या मंत्री, वित्त विभाग(सांस्थिक वित्त), यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत गौड़ा बौराम, किरतपुर एवं घनश्यामपुर प्रखंड मुख्यालय में एक भी स्थान पर कॉमर्सियल बैंक की शाखा नहीं है यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में गौड़ाबौराम, किरतपुर एवं घनश्यामपुर प्रखंड मुख्यालय में कामर्सियल बैंक की शाखा खोलने का विचार रखता है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास खोलना

*159. श्री पवन कुमार जायसवाल—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के सिकरहना अनुमंडल मुख्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं रहने के कारण छात्रों को पठन–पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*160. श्री विनय कुमार सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010–11 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 5 हजार की आबादी वाली गाँव में एक बैंक की स्थापना की जायेगी ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारण जिला के दिघवारा एवं सोनपुर प्रखंडान्तर्गत 5 हजार से अधिक आबादी वाली गाँवों में बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*161. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बाल्मीकिनगर जंगल एवं टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र को जंगल सफारी के लिए इकोटूरिज्म के लिए खोल दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाल्मीकिनगर थाना एवं चम्पापुर गोनौली गेस्ट हाउस के बीच धोढ़वा टोला ग्राम में पुलिस चौकी नहीं रहने के कारण अपराधियों पर अंकुश लगाने के काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाल्मीकिनगर जंगल एवं प्रोजेक्ट क्षेत्र के लिए इकोटूरिज्म हेतु धौढ़वा में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रास्ते को बंद करना

*162. मो० आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के गुड़ी पंचायत के जीवनटोला में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो वर्षों से उक्त कब्रिस्तान को रास्ते के रूप में किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उक्त कब्रिस्तान का निर्माण कर रास्ते को बंद करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*163. श्री ललित कुमार यादव—हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 3 नवम्बर, 2012 को प्रकाशित शीर्षक ''खाकी वर्दी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी कांड संख्या 318/12 पर कार्रवाई में शिथिलता बरतने पर थानाध्यक्ष मनीगाछी के खिलाफ पुलिस उप–महानिरीक्षक से मिलने पर थानाध्यक्ष, मनीगाछी ने श्रीमती रेणु देवी प्रमुख, मनीगाछी सहित उनके परिजनों को अपमानित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिकायत पुनः पुलिस उप–महानिरीक्षक से की गई, उक्त विषय पर तीन दिनों के अंदर जाँच प्रतिवेदन माँगी गयी थी लेकिन आजतक थानाध्यक्ष, मनीगाछी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मनीगाछी थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*164. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीवरावां प्रखंड के ग्राम कौनन्दपुर, हसनगंज तथा काशीचक प्रखंड के ग्राम एवं वारिसलीगंज प्रखंड के ग्राम–वाघीवरडीहा, रहमगंज तथा जुमुआवां का कब्रिस्तानों को असमाजिक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित किया जा रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों को नापी करवाकर घेराबंदी करवाने का विचार रखती है यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वरीयता का निराकरण

*165. श्री विनय बिहारी—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला समाहरणालय, मधुबनी के अधीनस्थ वर्ष 2004 में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से चयनित लिपिकों का वरीयता का निर्धारण विगत चार वर्षों से नहीं होने के कारण वहाँ के कर्मचारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति बाधित है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वरीयता का निराकरण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला वार्ड बनाना

*166. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मंडल कारा खगड़िया में महिला कैदियों के रहने के लिए अलग से महिला वार्ड नहीं है, न ही उन कैदियों के लिए पीने की पानी एवं शौचालय की व्यवस्था अलग से है, जिसके चलते महिला कैदियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारा में महिलाओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त एक महिला वार्ड बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

*167. श्रीमती रंजु गीता—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड स्थित मधुबन, बसहा में बैंक शाखा नहीं रहने से व्यापारियों एवं आम जनता को काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार मधुबन, बसहा में बैंक शाखा खोलने हेतु कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटनाः
दिनांक 3 दिसम्बर, 2012 (ई०)।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 154–डी०टी०पी० -450